

107/22 शैलज्योति व/s अहमदनगर जज

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

29⁹/₂₃

वकील डा. श्री उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। यह मुल्किली डा. श्री पत्र पीठाधीन
आधिकारी श्री देवेन्द्र परमार उपखण्डाधिकारी
भरतपुर के विरुद्ध पेश किया गया था।
श्री परमार का स्थानान्तरण उपखण्डाधिकारी
भरतपुर के पद से अन्यत हो गया है।
कारण उस्तुत मुल्क. डा. पत्र प्रभावहीन हो
जाता है।

अतः डा. श्री पत्र प्रभावहीन होने के
कारण इली स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली फौजल कुमार ही बाद कार्य-
वाही दारिखत दफतर है।

Low
जिला कलक्टर
भरतपुर